न्यायालय सहायक कलक्टर शाहपुरा जिला जयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– श्री मनमोहन मीना, आर ए एस

वाद संख्या :– 19/2017

उनवान

1 हरसहाय
2 छीतरमल } पि0 मंगला जाति जाट निवासी नयाबास तहसील शाहपुरा

वादीगण

बनाम

1. नाथूराम
2 दुर्गाराम
3 नरेन्द्र } पि0 पोखरमल
4 बाबूलाल

समस्त जाति रैगर निवासी नयाबास तहसील शाहपुरा

प्रतिवादीगण

उपस्थित श्री मदनलाल जाट

दावा स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम – 1955

निर्णय दिनांक 18.04.2022

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है। वादी के द्वारा वाद पत्र पेश कर जाहिर किया गया कि आराजी खसरा र 441/0.13, 442/0.39, 443/0.45, 1110/0.45, कुल किता 4 रकबा 1.42 है0 भूमि वाके ग्राम बास तहसील स्थित है, जो वादीगण के नाम खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। वादी अपनी भूमि पर बेज कास्त है। वादीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 441 में पूर्वी सीमा से लगती करीब 3 एयर भूमि ने कृषि उपज, कृषि यंत्रो के रख रखाव आदि के लिए तथा सीमा पर सुरक्ष हेतु डण्डा बनाने के लिए र आदि डाल रखे है। उक्त आराजी पर किसी भी अन्य का कब्जा काश्त नहीं है। प्रतिवादीगण के मन वना आ गयी है कि वे वादीगण की खातदेारी कब्जे काश्त की भूमि ख. न. 441/0.13 है0 भूमि से गण को जबरन बेदखल कर स्वयं जबरन कब्जा करने पर आमदा है। प्रतिवादीगण अपने मन्सूबे में ल हो गये तो वे वादीगण की खातेदारी भूमि ख.न. 441 से जबरन कब्जा कर पुख्ता निर्माण कार्य कर जिससे पक्षकारान में अनावश्यक मुकदमेबाजी बढेगी। इस कारण वादीगण को प्रतिवादीगण के विरूद्ध त वाद लाना आवश्यक होगा। अंत में निवेदन किया कि आराजी ख0 न0 441 रकबा 0.13 है0 वाके ग्राम बास तह0 शाहपुरा जयपुर के वादीगण के खातेदारी भूमि पर प्रतिवादीगण किसी भी प्रकार की मजाहमत नहीं करे।

वादी के द्वारा वाद पत्र पेश किये जाने पर विधिवत दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण की तलबी की प्रतिवादीगण की ओर से वकील प्रतिवादी उपस्थित जवाबदावा पेश नहीं किया दिनांक 25.02.2021 को तेवादीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। वकील वादी द्वारा अपने वाद पत्र के मर्थन में साक्ष्यवादी में अपने शपथ पत्र पेश किये गये। वकील वादी ने अपनी बहस में वाद पत्र को डिकी र प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने का निवेदन किया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। आराजी खसरा 441 रकबा 13 है0 भूमि वादीगण की खातेदारी में दर्ज है।

सहायक कलक्टर

अतः दावा वादीगण डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द जाता हैं कि वे वादीगण को उनकी खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 441 रकबा 0.13 के ग्राम नयाबास तहसील शाहपुरा जयपुर से जबरन बेदखल नही करें। वादीगण को उक्त आराजी पयोग उपभोग में मजाहमत पैदा नही करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 18-4-2022 को सरे इजलास सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर ल दफ्तर हो।

न्यायालय सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला–जयपुर) राज.

(मनमोहन)
सहायक कलक्टर
शाहपुरा जिला जयपुर

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला–जयपुर) राज.

प्रपत्र – 5

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर शाहपुरा जिला जयपुर(राज.)

पीठासीन अधिकारी :– **श्री मनमोहन मीना, आर ए एस**
वाद संख्या :– **19/2017**

उनवान

1 हरसहाय
2 छीतरमल } पि0 मंगला जाति जाट निवासी नयाबास तहसील शाहपुरा

वादीगण

बनाम

1. नाथूराम
2 दुर्गाराम
3 नरेन्द्र } पि0 पोखरमल
4 बाबूलाल

समस्त जाति रैगर निवासी नयाबास तहसील शाहपुरा

प्रतिवादीगण

उपस्थित श्री मदनलाल जाट

दावा स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम – 1955

अतः दावा वादीगण डिकी किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया हैं कि वे वादीगण को उनकी खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 441 रकबा 0.13 है0 ग्राम नयाबास तहसील शाहपुरा जयपुर से जबरन बेदखल नही करें। वादीगण को उक्त आराजी पर ोग उपभोग में मजाहमत पैदा नही करे।

आज तारीख 18-4-22 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई ।

(मनमोहन)
सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर शाहपुरा जिला जयपुर
शाहपुरा (जिला–जयपुर) राज.

: के खर्चे

		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
ाद पत्र के लिए स्टाम्प ाक्ति पत्र के लिए स्टाम्प दर्शा के लिए स्टाम्प .... रुपये पर प्लीडर की फीस ाक्षियों के लिए निर्वाह – व्यय कमिश्नर की फीस ादेशिका की तामिल	/	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	/
ड		जोड़	